प्रेषक,

विजय शंकर उपाध्याय,
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय,
फतेहपुर।

सेवा में,

महा निबन्धक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

पत्रांक संख्या– 14 XV / फतेहपुर, दिनांकः 13 अप्रैल, 2021

महोदय,

विनम्र निवेदन है कि मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या–356 /पॉच–5–2021 दिनांकः 02.03.2021 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्यस्थल को विसंक्रमित करने के लिए 48घण्टे के पश्चात कार्यालय फिर से शुरू किया जा सकता है। जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर के प्रशासनिक आदेश संख्या–70/IV सन् 2021 के अनुसार अपर प्रधान न्यायाधीश, पारिवारिक न्यायालय व जनपद न्यायालय में कार्यरत चार अन्य न्यायिक अधिकारी एवं आठ कर्मचारीगण कोरोना संक्रमित पाये गये हैं जिसके कारण न्यायालय परिसर भी विसंक्रमित कराये जाने हेतु जनपद न्यायालय परिसर दिनांक 13.04.2021 एवं 14.04.2021 (दो दिन) के लिए बन्द किया गया है।

उक्त जनपद न्यायालय परिसर फतेहपुर में ही पारिवारिक न्यायालय भी स्थिति है। अतएव जनपद न्यायाधीश फतेहपुर के उपरोक्त प्रशासनिक आदेश के अनुक्रम में पारिवारिक न्यायालय विसंक्रमित कराये जाने हेतु दिनांक 13.04.2021 एवं 14.04.2021 (दो दिन) के लिए पारिवारिक न्यायालय बन्द किया गया है।

आख्या माननीय उच्च न्यायालय के अवलोकनार्थ प्रेषित है।

दिनांकः अप्रैल, 2021

भवदीय,

(विजय शंकर उपाध्याय)
प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।

संलग्नक– छायाप्रति प्रशासनिक आदेश जनपद न्यायाधीश, फतेहपुर।

पत्रांकः 75 XV / फतेहपुरः दिनांक 13 अप्रैल, 2021

प्रतिलिपिः

निजी सचिव, माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति महोदय,फतेहपुर सेशन डिवीजन, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को माननीय न्यायमूर्ति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत करने हेतु।

प्रधान न्यायाधीश,
पारिवारिक न्यायालय, फतेहपुर।

कार्यालय जनपद न्यायाधीश फतेहपुर।

प्रशासनिक आदेश संख्या 70/IV सन 2021 दिनांकः अप्रैल 12, 2021

आदेश

मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर ने पत्रांक मु0चि0अ0/कोविड –19/2021–22/114 दिनांकित 12.04.2021 के माध्यम से आज दिनांक 12.04.2021 को रात्रि लगभग 8:00 बजे अवगत कराया कि कोविड–19 टेस्ट केलिए जनपद न्यायालय परिसर हेतु भेजी गयी टीम द्वारा एण्टीजेन टेस्ट के दौरान पॉच न्यायिक अधिकारियों एवम 08 कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 356/पॉच–5–2021 दिनांक 02.03.2021 का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कार्यस्थल को विसंक्रमित करने के लिए 48 घण्टे के पश्चात कार्यस्थल पर फिर से कार्य शुरू किया जा सकता है। मुख्य चिकित्साधिकारी ने न्यायालय परिसर को 48 घण्टे की अवधि के लिए बन्द किया जाना आवश्यक बताया है तथा साथ ही साथ कोविड–19 संक्रमण रोकने के लिए जनपद न्यायालय फतेहपुर के सम्पूर्ण परिसर न्यायालय, कार्यालय एवम सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों को सेनेटाइजेशन कराने की राय दी है।

जिलाधिकारी फतेहपुर के पत्रांक 466/एस0टी0–डी0एम0 दिनांक 12.04.2021 जो कि दिनांक 12.04.2021 को रात्रि में लगभग 10:00 बजे के आस पास प्राप्त हुआ, जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्साधिकारी की राय से सहमति व्यक्त की है और न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बन्द करने की संस्तुति की है।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि दिनांक 12.04.2021 को दिन में कोविड–19 के परीक्षण के दौरान पॉच न्यायिक अधिकारियों व आठ कर्मचारियों का एण्टीजेन टेस्ट धनात्मक पाया गया है और मुख्य चिकित्साधिकारी और जिलाधिकारी फतेहपुर की राय के अनुसार जनपद न्यायालय परिसर को दो दिन के लिए बन्द करके सम्पूर्ण कचेहरी,

न्यायालय, कार्यालय सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों को सेनेटाइज कराया जाना आवश्यक है इसलिए मै, अशोक कुमार सिंह, जिला न्यायाधीश फतेहपुर, अधिकारियों, कर्मचारियों, अधिवक्ताओं एवम वादकारियों के जीवन की रक्षा व सुरक्षा के दृष्टिकोण से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1941 / LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाईडलाइन के क्रम संख्या–8 के प्रकाश में सिविल कोर्ट परिसर फतेहपुर को दिनांक 13.04.2021 व 14.04.2021 के लिए बन्द करता हूँ। **जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर यह सुनिश्चित करेंगें कि इन दोनो दिनों में सम्पूर्ण कचेहरी परिसर न्यायालय, कार्यालय, सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों का सेनेटाइजेशन चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कडाई से (strictly as per medical guidelines) कराया जायेगा।**

सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत श्री आनन्द मिश्रा अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय संख्या–1 फतेहपुर व केन्द्रीय साध्यपाल सेनेटाइजेशन के कार्य को देखेंगें और सेनेटाइजेशन के पश्चात प्रत्येक दिन रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करेंगें कि सेनेटाइजेशन की कार्यवाही ठीक प्रकार से (properly) की गयी अथवा नहीं। इन दो दिनों में बेल व रिमाण्ड का कार्य अवकाश के दिनों की भांति सम्पादित किया जायेगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर का स्थानान्तरण हो चुका है इसलिए प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फतेहपुर सुनिश्चित करेंगें कि बेल व रिमाण्ड की कार्यवाही अवकाश के दिनों की भॉति सम्पादित होती रहे।

दिनांक 13 व 14 अप्रैल, 2021 को नियत आवश्यक प्रार्थनापत्रों का निस्तारण न्यायालय के खुलने के दिन यानी कि दिनांक 15.04.2021 का किया जायेगा तथा इन दोनो तिथियों पर नियत वाद भी दिनांक 15.04.2021 को प्रस्तुत होंगें और सम्बन्धित न्यायालयों के पीठासीन अधिकारीगण इन वादों में सामान्य तिथियॉ नियत करेंगें और दिनांक 15.04.2021 को नियत वादों में माननीय उच्च न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार कार्य सम्पादित किया जायेगा।

जिलाधिकारी व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर से यह अपेक्षा की जाती हैकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत गाइडलाइंस के प्रकाश में तहसील बिन्दकी और वाहय न्यायालय तहसील खागा का प्रत्येक दिवस

✓

सेनेटाइजेशन कराये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को दिशा निर्देश जारी करें। ग्राम न्यायालय बिन्दकी व वाह्य न्यायालय तहसील खागा पूर्व की भॉति खुले रहेंगें। यहॉ के दोनो न्यायिक अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है कि वह न्यायालय परिसर, न्यायालय व कार्यालय का सेनेटाइजेशन अपने स्तर से कराना सुनिश्चित करें तथा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा निर्गत पत्र संख्या 1941/ LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad दिनांकित अप्रैल 05, 2021 में दी गयी गाइडलाइंस व मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में पारित प्रशासनिक आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

(अशोक कुमार सिंह–III)
जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

दिनांक 12.04.2021

प्रतिलिपि–

1. महानिबन्धक माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय जनपद न्यायालय परिसर फतेहपुर।
3. जिलाधिकारी फतेहपुर व मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि सम्पूर्ण न्यायालय परिसर, न्यायालय कार्यालय, सम्पूर्ण अधिवक्ता शेडों का सेनेटाइजेशन चिकित्सीय दिशा निर्देशों के अनुरूप कडाई से (strictly as per medical guidelines) नियमित रूप से कराया जाये।
4. समस्त न्यायिक अधिकारी जनपद न्यायालय फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रभारी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फतेहपुर।
6. सहायक प्रभारी अधिकारी नजारत जनपद न्यायालय फतेहपुर।
7. न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय बिन्दकी व वाह्य न्यायालय खागा फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
8. अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार एसोसियेशन फतेहपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
9. जिला सूचना अधिकारी जनपद फतेहपुर को जनसाधारण के मध्य सूचनार्थ प्रकाशित कराये जाने हेतु।
10. केन्द्रीय नाजिर को सूचनार्थ प्रेषित।

जनपद न्यायाधीश,
फतेहपुर।

दिनांक 12.04.2021